

18-10-2019

पार्थी के वकील उपस्थित। पेशेदार सरकार
उपस्थित। पार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र
तहसीलदार शिवगंज द्वारा पुरखसं. 60/2017
में पारित निर्णय दिनांक 16-1-2019 के विरुद्ध
अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के
कारण विलम्ब की अवधि कटौत करने
के लिए धारा 5 नारायण मिश्रा अधिनियम
के तहत प्रस्तुत किया गया है। पार्थी द्वारा
प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत
रखते हुए अपील पेश करने में हुआ विलम्ब
सदभावपूर्ण होता प्रतीत होता है। अतः
पार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए
अपील पेश करने में हुए विलम्ब की
अवधि को कटौत किया जाए ही निर्णय
सहाय्य गया। प्रावली कैमल शुभारंभ
नम्बर से प्रश्न है एवं मूल अपील फावली
के साथ नक्षी है। ye

श. वि. क. क. क.
सिरोही (प.व.)

